कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक : 1775 /खनिज/ई–टेण्डर/2023–24 दिनांक : 01 /06 /2023

ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–चित्रकूट में नदी तल में उपलब्ध मोरम के रिक्त क्षेत्रों को दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली–2019 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–2168/86–2019–57(सामा0)/2017 दिनांक 09.10.2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत् घोषित किया जाता है :–

1. क्षेत्र का विवरणः–

क्र0 सं0	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार उपलब्ध उपखनिजों में से सर्वाधिक रायल्टी दर (रू0 प्रति घन मी0)	क्षेत्र में उपलब्ध खनन योग्य उपखनिज की मात्रा (घनमीटर प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रूपयों में (कालम 11 में अंकित घन मी0 प्रतिवर्ष को कालम 10 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 12 में अंकित सकल धनराशि का 25प्रतिशत)
			तहसील / ग्राम	डी0एस0 आर0 एरिया कोड	गाटा/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मोरम	यमुना	मऊ / रेड़ी भुसौली	1560060201	17	27.500	A-25°20'31.05"N B-25°20'38.70"N C1-25°20'44.09"N C-25°20'38.68"N D-25°20'35.57"N E-25°20'35.53"N F-25°20'34.43"N	81°20'33.04"E 81°20'35.02"E 81°20'9.65"E 81°19'51.54"E 81°19'50.94"E 81°20'2.10"E 81°20'14.90"E	150.00	508750	76312500.00	19078125.00
2	मोरम	यमुना	मऊ / बसरेही	1560080201	2/1	32.471	A-25°20'39.80"N A1-25°20'38.75"N A2-25°20'38.65"N A3-25°20'37.46"N B-25°20'34.40"N C-25°20'23.81"N C125°20'26.28"N D-25°20'29.20"N	81°20'37.50"E 81°20'44.49"E 81°20'49.60"E 81°20'53.71"E 81°21'10.70"E 81°21'6.18"E 81°20'51.50"E 81°20'34.20"E	150.00	600714	90107100.00	22526775.00

2. ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खननपट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
3. ई–निविदा सह ई–नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नही होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नही की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आंगणित की जायेगी।
4. ई–निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई–निविदा सम्पन्न की जायेगी, जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई–निविदा (E-Tender) देने का मौका प्रदत्त होगा, जो पुनरीक्षित (Revised) नही किया जा सकेगा। ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुये द्वितीय चरण में ई–नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई–नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई–बिड दे सकता है। ई–नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसके देखते हुये बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है।

5. किसी क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।

6. एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रुप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई–निविदा सह ई–नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा परिहार पर दिये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई–ऑक्सन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

7. इच्छुक आवेदकों के लिये ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग ले सकेगें। ई–निविदा सह ई–नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान DSC की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन अधिकतम 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हे0 क्षेत्रफल के लिये बिड में भाग ले सकेगा, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट एमएसटीसी के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एमएसटीसी के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष
में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हे0 क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिये सरकार के पक्ष में रू0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

9. ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0लि0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पडेगा, जिसके दौरान बिडर्स अपने लिये स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेगें। इस ऑनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0लि0 द्वारा भेजा गया सूचना ई–मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0लि को ऑनलाईन भेजा जाना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित रू0 2,360 (रू0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0लि0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा, परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

10. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण–पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

    1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामलें में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण–पत्र की प्रति।

2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण–पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ–पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहॉ आवेदक स्थायी रुप से निवास करता हों।
3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–निविदा सह ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण–पत्र। जहॉ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है, वहॉ इस आशय का शपथ–पत्र की प्रति।
6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेवसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो, नियम–26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई–निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में भाग नही ले सकते है :–
1) जो भारतीय राष्ट्रीक नही है।
2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।
3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रुप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्त नही कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण–पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किया हो।
7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न किया हो।

12. ऑनलाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक–पृथक रू0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क, जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानें की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी, जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15. जहां किसी भी कारण से ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 02 खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इन्टेंट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी। नियमावली 2021 में 47वें संशोधन के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से आच्छादित नहीं होंगे।

17. ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रियाः–

1) ई–निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई–निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी, जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली–2021 के अनुसूची–1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगा। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई–निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक–पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई–निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई–नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली–2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्ते पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली–2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में से खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगें।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पॉच से अधिक बिड/ऑफर प्राप्त होते है तक केवल पॉच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

3) उपरोक्त प्रस्तर–17(2)(ग), (घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते है।

4) द्वितीय चरण में ई–नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई–नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/ऑफर द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

5) ई–नीलामी की प्रक्रिया, जो ई–निविदा खोलने के तत्काल 02 घंटे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।

6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो ई–नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नही होती है।

7) ई–निविदा सह ई–नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :–

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	दिनांक 06.06.2023
Last date of submission of Pre Bid EMD (Pre Bid EMD, एवं Application Fee जमा करने की आखरी तारीख)	**ई–निविदा से पूर्व MSTC में अपेक्षित Pre Bid EMD एवं Application Fee, MSTC website पर वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें।**
प्रथम चरण ई–निविदा (ई–टेण्डर) की अवधि	दिनांक 13.06.2023 के पूर्वान्ह 10:00 बजे से दिनांक 16.06.2023 के सायं 05:00 बजे तक।

विज्ञापित क्षेत्र का क्रमांक	प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन		द्वितीय चरण की ई–नीलामी की अवधि	
	दिनांक	समय	दिनांक	समय
01	19.06.2023	पूर्वान्ह 10:00 बजे।	19.06.2023	अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक क्रमांक–01 पर विज्ञापित क्षेत्र।
02	19.06.2023	अपरान्ह 01:00 बजे।	19.06.2023	अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक क्रमांक–02 पर विज्ञापित क्षेत्र।

8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :

(क) प्रथम चरण की ई–निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tendere) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात अधिमकत निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउण्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नही को भी लॉगिन कर जान सकते है।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई–नीलामी समाप्त होन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेग।

18. **पट्टे का दिया जानाः**–नियमावली के नियम–28 के प्रावधानों के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर–17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेगें। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. ई–नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख–सत्यापन की आख्या ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख–सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण–पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है, जो लेटर ऑफ इन्टेंट जारी नही किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

20. **लेटर ऑफ इन्टेंट में निम्न विवरण होगें :–**

1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मी0 को ई–निविदा/ई–नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खननपट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रुप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रुप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्यदिवस के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली–2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहारधारकों द्वारा पंचम अनुसूची की प्रक्रिया अन्तर्गत धनराशि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
4) पट्टाधारक नियम–17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ–कोआर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा) तथा नियम–36 के अनुसार सीमा–स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।
5) चयनित आवेदक नियम–35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि–उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
7) आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21. **सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :**

1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त

बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई–नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्वि की जायेगी तथा तद्नुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली–2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

2) आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किश्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखा शीर्षक में लेटर आफ इंटेन्ट जारी होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुये जमा किया जाना होगा। प्री बिड अर्नेस्टमनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0लि0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से/ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम–59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. **शर्ते–विज्ञप्ति में निम्न शर्ते दी जायेंगीः–**

1) ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में

2) दक्षतापूर्ण रीति के कुशल कारीगर की भांति करेगा।

3) पट्टाधारक नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रुप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रुप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

4) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा

सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

5) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नही करेगा।
6) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।
7) नदी की जल धारा से सेक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।
8) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहॉ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
9) यदि पट्टेधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
10) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
11) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरुप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधाकर द्वारा किया जायेगा।
12) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है जो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
14) पट्टाधारक द्वारा अभ्यर्पण की आशयित दिनांक (Intended day of surrender) को प्रतिभूति की जमा धनराशि एवं उस वर्ष की वार्षिक देय किश्त के 25 प्रतिशत की धनराशि को जमा कर, पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी अनापत्ति एवं क्षेत्र से निकाले गये खनिज की मात्रा का आंकलन करने के उपरान्त देय समस्त धनराशि के जमा की अनापत्ति के आधार पर खनन पट्टे का अभ्यर्पण किया जा सकेगा।
15) पर्यावरणीय अनापत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान करना अनिवार्य होगा।
16) विशेष परिस्थितिवश पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रिया बाधित होने की स्थिति में राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से आगामी किस्त के सापेक्ष बाधित अवधि के दौरान संदेय किस्त के समतुल्य धनराशि का समयोजन संदेय देयों से आनलाइन किया जायेगा।
17) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनिजों की लोडिंग की जायेगी।
18) खनन पट्टा अन्तर्गत कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात अवशेष धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।
19) नियम–35(2) के उल्लंघन की दशा में प्रस्तावक पर रु0 10,000.00 प्रतिदिन की शास्ति तथा नियम–35(5) के उल्लंघन की दशा में प्रस्तावक द्वारा जमा प्रथम किश्त और प्रतिभूति धनराशि समपहृत करते हुये आशय पत्र (Letter of Intent) निरस्त किया जायेगा।

20) नियम–42(झ) के उल्लंघन की दशा में प्रत्येक चूक के लिये खनन पट्टाधारक पर रु0 25,000.00 शास्ति अधिरोपित लिये जाने तथा शास्ति जमा न करने पर प्रतिभूमि धनराशि से कटौती की जायेगी।

21) नियम–35(4) के उल्लंघन की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके पक्ष में जारी आशय पत्र (Letter of Intent) निरस्त किया जा सकता है।

22) खनन पट्टा की शर्तों के उल्लंघन की दशा में नियम–61(1) के अनुसार अथवा पट्टा अन्तर्गत देय धनराशि जमा न करने पर नियम–59 के अन्तर्गत खनन पट्टा निरस्त करने पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये खनन पट्टाधारक का नाम काली सूची में डाला जा सकता है।

23) आवेदक/पट्टाधारक के मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में खनन पट्टा का आवेदन पत्र/निष्पादित खनन पट्टा स्थानान्तरण का आदेश जिलाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त किया जा सकता है।

24) तृतीय अनुसूची के प्रपत्र एम0एम0–11/ई–एम0एम0–11 परिवहन प्रपत्र एम0एम0–11 में खनिज की मात्रा के साथ खनिमुख मूल्य को भी अंकित करना अनिवार्य किया गया है।

25) नियम–35 के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जारी अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुये जो पट्टेदार खनन कार्य करता है वह चूक के प्रति अवसर के अनुसार पचास हजार रुपये की दर से ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा, जिसकी वसूली जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

26) यदि पट्टाधारक नियम–36 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन पच्चीस हजार रुपये की दर से शास्ति, सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उद्गृहीत की जायेगी। ऐसी उद्गृहीत शास्ति को जमा करने पर चूक की दशा में उक्त धनराशि की कटौती सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।

27) नियम–42(ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जलधारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पॉच लाख रुपये की दर से शास्ति के लिये दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।

28) खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार, जो नियम–45 में उपबन्धित की गयी किसी शर्त को भंग करे, पच्चास हजार रुपये की शास्ति/उद्ग्रहण के लिये दायी होगा। शास्ति की उक्त धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उक्त धनराशि की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।

29) जहां प्रस्तावक निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने की सम्पूर्ण वांछित प्रक्रियाओं को पूरा करने में विफल हो जाये, वहां जिला मजिस्ट्रेट उसके पक्ष में जारी आशयपत्र को निरस्त कर सकता है।

अन्य नियम एवं शर्तेः–

1. सफल ई–बोलीदाता/ई–निविदादाता को खनन क्षेत्र में पहुंच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
2. सफल ई–बोलीदाता/ई–निविदादाता को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 यथा संशोधित एवं सुसंगत शासनादेशों एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों को अक्षरशः पालन करना होगा।
3. उपरोक्त क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है।

(अभिषेक आनन्द)
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

पत्रांक व तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
5. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लि0, सेकेण्ड फ्लोर सेन्टर कोर्ट बिल्डिंग, पार्क रोड हजरतगंज, लखनऊ।
6. उपजिलाधिकारी, कर्वी/मऊ/मानिकपुर/राजापुर।
7. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, चित्रकूट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

जिलाधिकारी,
चित्रकूट।